


धौलपुर (राज०)

10-01-25

आज पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अभिभाषक उपस्थित। पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार) मरैना की ओर से सम्बन्धित पटवारी हल्का सामौर एवं गिरदावर हल्का दिहौली उपस्थित हुए। सरकार की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

जवाब की कॉपी प्राप्त हुई


तारीख हुता	हुता या कार्यवाही का इतिहास	नम्बर व पक्षों अवकाश या रूप हुता की प्रकृति में जारी हुए
	<p>अपीलान्त द्वारा अपील में हलका पटवारी द्वारा आपसी संज्ञित रिपोर्ट करना तथा प्रिंटेड प्रारूप में झूठी रिपोर्ट पेश करना तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मरेना द्वारा दिनांक 18.11.2024 को अपीलान्त के विरुद्ध बिना साक्ष्य का अवसर दिये कथित राखी आदेश पारित करने का आरोप लगाते हुए नायब तहसीलदार मरेना निर्णय दिनांक 18.11.2024 को अपास्त करते हुए अपीलान्त के पक्ष में नियमन चाहा है।</p> <p>इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से अपीलान्त के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने/विवादित भूमि का सीमाज्ञान सम्बन्धी कार्यवाही की रिपोर्ट एवं जवाब अपील/स्थगन चाहा गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 07.01.2025 एवं 09.01.2025 द्वारा रिपोर्ट भेजी गई। जिसकी प्रति वकील अपीलान्त को दी गई।</p> <p>नायब तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में अतिक्रमी को पिछले सन्वत् 2080 में बेदखल करने एवं उसके पश्चात भी पुनः सन्वत् 2081 में सरसों बोकर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए सही निर्णय पारित करना बताया है। साथ ही दिनांक 06.11.2024 को राजस्व टीम द्वारा मौके पर पैमाईश करना और अतिक्रमियों को उनकी खातेदारी भूमि चिन्हित कर अतिक्रमी को निर्णय से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना जाहिर किया है। साथ में दिनांक 06.11.2024 को सीमाकन व दिनांक 12.03.2024 को सन्वत् 2080 में फसल नष्ट करने का मौका पर्चा भी संलग्न किया है।</p>	


उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उभयपक्षकारान द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत जबाव में अंकित तथ्यों को ही दोहराया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्त के विरुद्ध ग्राम मढई तहसील राजाखेडा में खसरा नं० 268/242 गै०मु० बीहड भूमि में 1.00६ हे० भूमि पर सरसों की बुवाई करने के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर दिनांक 18.11.2024 को फसल नष्ट करने एवं सिविल कारावास से दंडित किया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमी खसरा नम्बर 268/242 पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी था यह खसरा नम्बर संलग्न मौका पर्चा दिनांक 12.03.2024 एवं 06.11.2024 में भी अंकित है। जिसे सम्वत् 2080 में खुर्द बुर्द किया था इसके बाबजूद सम्वत् 2081 में पुनः फसल सरसों बोकर खसरा नम्बर 268/242 गै०मु० बीहड पर अतिक्रमण किया है। भूमि गैर मुमकिन बीहड होने से अतिक्रमी मलखान सिंह के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना न्याय संगत होगा। जहाँ तक प्रिटेड प्रारूप में निर्णय लिखे जाने का आरोप है उससे प्रकरण की मैरिट प्रभावित नहीं होती है।

अतः अपील अपीलान्त खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 18.11.2024 बहाल रखा जाता है। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मरैना को पालना हेतु भेजी जावे। वाद तकमिल पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(धीरेन्द्र सिंह)
अति० जिला कलक्टर
धौलपुर (राज०)

आदेश आज दिनांक 10.01.2025 को खुले
न्यायालय मे सुनाया गया।


(धीरेन्द्र सिंह)
अति० जिला कलक्टर
धौलपुर (राज०)